


10/2024
1. सुरेशकुमार पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी राजपुरा त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।
:-वादी

1. रामजीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील भादरा।
2. पवन कुमार पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील भादरा।
3. सुनीता पुत्री रामजीलाल पत्नी रमेश जाति जाट निवासी राजपुरा हाल निवासी अमरपुरा तहसील भादरा।
4. राजस्थान मरुधरा बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
6. भतीरी पत्नी रामजीलाल जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील भादरा। :-प्रतिवादीगण

आज यह वाद गुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर वैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चकं 10 बी0एच0डी0 के खाता सं0 13/11 के मु0 न0 36 के किला न0 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 17, 18, 19 कुल रकबा 3.036 है0 जिसमें रो नहरी 2.997 है0, गै0 मु0 रास्ता 0.039 है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 रामजीलाल के नाम से 1/6 हिस्सा, व चक 9 बीएचडी के खाता सं0 94/20 के मु0 न0 53 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 10, मुण न0 66 के किला न0 12, 16 ता 19, 22, 23, 24 कुल रकबा 4.554 है0 जिसमें नहरी 4.491 है0, गै0 मु0 रास्ता 0.063 है0 खातेदारी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 रामजीलाल के नाम से 1/6 हिस्सा व रोही मोजा राजपुरा बरानी के खाता सं0 3/5 के मु0 न0 43 के किला न0 16/2, 17/2, 24, 25, मु0 न0 44 के किला न0 19/2, 20/2, 21, 22, 23 मु0 न0 45 के किला न0 1, 2, 3, 8 ता 13, 18 ता 23, मु0 न0 46 के किला न0 4 ता 7, 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 ता 25, मु0 न0 47 के किला न0 14 ता 17, 24, 25 मु0 न0 52 के किला न0 3 ता 8, मु0 न0 53 के किला न0 1, 2, 3, 9, 10 कुल रकबा 13.687 है0 जिसमें से बरानी 13.649 है0, गै0 मु0 रास्ता 0.038 है0 खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 रामजीलाल के नाम से 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 रामजीलाल अकेले के बजाए वादी सुरेश कुमार, प्रतिवादी सं0 1 रामजीलाल, प्रतिवादी सं0 2 पवन कुमार, प्रतिवादी सं0 3 सुनीता को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/2/25 को मेरे हस्ताक्षर से मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

10/2024

शुरेशकुमार पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी राजपुरा त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।
:-वादी

- बनाम
1. रामजीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील भादरा।
 2. पवन कुमार पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील भादरा।
 3. सुनीता पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील भादरा।
 4. अमरपुरा तहसील भादरा।
 5. राजस्थान मरुधरा बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
 7. भतेरी पत्नी रामजीलाल जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील भादरा।

:-प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री धर्मपाल बेरवाल वादी
श्री सतवीर बैनीवाल प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 10-2-25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 10 बी0एच0डी0 के खाता सं0 13/11 के मु0 न0 36 के किला न0 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 17, 18, 19 कुल रकबा 3.036है0 जिसमें से नहरी 2.997है0, गै0 मु0 रास्ता 0.039है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 रामजीलाल के नाम से 1/6 हिस्सा, व चक 9 बीएचडी के खाता सं0 94/20 के मु0 न0 53 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 10, मुण न0 66 के किला न0 12, 16 ता 19, 22, 23, 24 कुल रकबा 4.554है0 जिसमें नहरी 4.491है0, गै0 मु0 रास्ता 0.063है0 खातेदारी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 रामजीलाल के नाम से 1/6 हिस्सा व रोही मोजा राजपुरा बारानी के खाता सं0 3/5 के मु0 न0 43 के किला न0 16/2, 17/2, 24, 25, मु0 न0 44 के किला न0 19/2, 20/2, 21, 22, 23 मु0 न0 45 के किला न0 1, 2, 3, 8 ता 13, 18 ता 23, मु0 न0 46 के किला न0 4 ता 7, 11/1, 11/2; 12 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 ता 25, मु0 न0 47 के किला न0 14 ता 17, 24, 25 मु0 न0 52 के किला न0 3 ता 8, मु0 न0 53 के किला न0 1, 2, 3, 9, 10 कुल रकबा 13.687है0 जिसमें से बारानी 13.649है0, गै0 मु0 रास्ता 0.038है0 खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 रामजीलाल के नाम से 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

Kalpit
अधिकारी (राजस्व)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 3 व 6 ने आपसी राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं० 5 की ओर से जवाब पेश किया गया व प्रतिवादी वकील वादी ने तर्क अंकित किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि वाद भूमि रोही मौजा 10 बीएचडी, 9 वीएचडी व राजपुरा वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 10 बी०एच०डी० के खाता सं० 13/11 के मु० न० 36 के किला न० 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 17, 18, 19 कुल रकबा 3.036 है० जिसमें से नहरी 2.997 है०, गै० मु० रास्ता 0.039 है० वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 रामजीलाल के नाम से 1/6 हिस्सा, व चक 9 बीएचडी के खाता सं० 94/20 के मु० न० 53 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 10, मुण न० 66 के किला न० 12, 16 ता 19, 22, 23, 24 कुल रकबा 4.554 है० जिसमें नहरी 4.491 है०, गै० मु० रास्ता 0.063 है० खातेदारी वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 रामजीलाल के नाम से 1/6 हिस्सा व रोही मौजा राजपुरा बारानी के खाता सं० 3/5 के मु० न० 43 के किला न० 16/2, 17/2, 24, 25, मु० न० 44 के किला न० 19/2, 20/2, 21, 22, 23 मु० न० 45 के किला न० 1, 2, 3, 8 ता 13, 18 ता 23, मु० न० 46 के किला न० 4 ता 7, 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 ता 25, मु० न० 47 के किला न० 14 ता 17, 24, 25 मु० न० 52 के किला न० 3 ता 8, मु० न० 53 के किला न० 1, 2, 3, 9, 10 कुल रकबा 13.687 है० जिसमें से बारानी 13.649 है०, गै० मु० रास्ता 0.038 है० खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 रामजीलाल के नाम से 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं० 1 के वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 3 व 6 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त वाद भूमि में वादी के साथ साथ प्रतिवादी सं० 1 ता 3 व 6 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है चूंकि प्रतिवादी सं० 6 ने राजीनामा पेश कर उपरोक्त कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 के पक्ष में घोषणा किये जाने पर अनापति जाहिर की। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 10 बी०एच०डी० के खाता सं० 13/11 के मु० न० 36 के किला न० 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 17, 18, 19 कुल रकबा 3.036 है० जिसमें से नहरी 2.997 है०, गै० मु० रास्ता 0.039 है० वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 रामजीलाल के नाम से 1/6 हिस्सा, व चक 9 बीएचडी के खाता सं० 94/20 के मु० न० 53 के किला न० 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 10, मुण न० 66 के

Kabit
राजस्थान (राजस्थान)
जयपुर

किला नं० 12, 16 ता 19, 22, 23, 24 कुल रकमा 4.654 है० जिसमें नदरी 4.491 है०, गै० मु० सरता 0.063 है० खातेदारी नामभूमि में प्रतिवादी सं० 1 रामजीलाल के नाम से 1/6 हिस्सा व लोदी मोजा राजपुरा बाराणी के खाता सं० 3/5 के मु० नं० 43 के किला नं० 16/2, 17/2, 24, 25, मु० नं० 44 के किला नं० 19/2, 20/2, 21, 22, 23 मु० नं० 45 के किला नं० 1, 2, 3, 8 ता 13, 18 ता 23, मु० नं० 46 के किला नं० 4 ता 7, 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 ता 25, मु० नं० 47 के किला नं० 14 ता 17, 24, 25 मु० नं० 52 के किला नं० 3 ता 8, मु० नं० 53 के किला नं० 1, 2, 3, 9, 10 कुल रकमा 13.687 है० जिसमें से बाराणी 13.049 है०, गै० मु० सरता 0.038 है० खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 रामजीलाल के नाम से 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं० 1 रामजीलाल अकेले के बजाए वादी सुरेश कुमार, प्रतिवादी सं० 1 रामजीलाल, प्रतिवादी सं० 2 पवन कुमार, प्रतिवादी सं० 3 सुनीता को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरागद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ०२/२५ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कल्पित सिविल)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S
भादरा जिला हनुमानगढ़
भादरा जिला हनुमानगढ़